संख्या- 03/2017/835/35-1-2016-6/8(6)/2011

प्रेषक,

राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ:*दिनांक*: 21 फरवरी, 2017*

विषय: बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हो रही आत्महत्याओं के संदर्भ में क्षेत्र के Social and Behaviourial pattern का अध्ययन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1392/चार-2034/मू0प्र0, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि शा0सं0-1069/35-1-2011-6/8 (6)/2011, दिनांक 02.08.2011 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हो रही आत्महत्याओं के संदर्भ में क्षेत्र के Social and Behaviourial pattern का अध्ययन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से कराये जाने के सन्दर्भ में प्राप्त प्रस्ताव लागत रू0 6,65,500/- पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुए अब तक दो किश्तों में कुल रू0 5,98,950/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग के पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 29.10.2015 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय की गयी धनराशि के विवरण को संलग्न करते हुए अवशेष रू0 12,135/- (रूपये बारह हजार एक सौ पैंतीस मात्र) की मॉग की गयी है। उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। अत: उक्त अध्ययन के कुल लागत के अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष **रू0 12,135/- (रूपये बारह हजार एक सौ पैंतीस मात्र)** की धनराशि व्यय करने अनुमति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृति धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक-'3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/

कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' में प्राविधानित धनराशि, जिसे शासनादेश संख्या-02/2017/19/35-1-2017-6/8(7)/2015, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा आपके निर्वतन पर रखा गया है, से आहरित करके गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लेखा जोखा निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रखा जाएगा।

भवदीय,

राकेश कुमार
सचिव।

संख्या- 03/2017/835/35-1-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज हाउसिंग योजना, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

देशराज सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।